

- विज्ञप्ति -

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, झाँसी में दृष्टिगत चिकित्सा शिक्षको की कमी को पूरा करने हेतु निम्न रिक्त (Vacant) पदों पर संविदा तैनाती हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 16 मई 2021 तक पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रधानाचार्य कार्यालय, मेडिकल कालेज, झाँसी में आमंत्रित किये जाते हैं।

क्रम	विशिष्टता का नाम	आचार्य				सह आचार्य				सहायक आचार्य			
		UR	OBC	SC	EWS	UR	OBC	SC	EWS	UR	OBC	SC	EWS
1	आर्थोपेडिक्स			1			1						
2	ऑपथोलॉजी												
3	ऑब्सेर एण्ड गायनीकोलॉजी		1 (23)			2	1						
4	एनाटॉमी	1						1			1		
5	एनेस्थीसियोलॉजी			1T		1	1				1		
6	ओटो-राईनो-लैरिगोलॉजी									1	1		
7	कम्युनिटी मेडिसिन						1			1	1		
8	कार्डियोलॉजी	1						1	1			1	
9	जनरल मेडिसिन					2	1				1		
10	जनरल सर्जरी				1T								1
11	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रैसो मेडि०												
12	डर्मटोलॉजी, वेरे० एण्ड लेप्रोसी												
13	डिन्टिस्ट्री												
14	न्यूरोलॉजी		1								1(42)		
15	न्यूरोसर्जरी	1		1T								1(43)	
16	नेफोलॉजी								1			1	
17	प्लास्टिक सर्जरी							1		1			
18	पीडियाट्रिक्स												
19	पैथोलॉजी												
20	फार्माकोलॉजी	1 (24)						1					1
21	फिजियोलॉजी		1								1	1	
22	फोरेन्सिक मेडिसिन	1				1							
23	बायोकेमिस्ट्री		1										
24	माइक्रोबायोलॉजी				1		1			1			
25	यूरोलॉजी			1		1							
26	रेडियोलॉजी						1				1		1
27	रेडियोथेरेपी										1#		
28	साइकियेट्री							1					

Medical physicist, T= Trauma Center.

- 1) साक्षात्कार दिनांक 20, मई 2021 को समय 12:00 बजे से 02:00 बजे के मध्य होंगे।
- 2) नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षको को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
- 3) शासनादेश संख्या 104/2019/5044/71-1-18-जी-63/2018, दिनांक 21-11-2019 के अनुसार संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को नियत वेतन देय होगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें शासन द्वारा समय समय पर पूर्व में निर्गत भिन्न-भिन्न शासनादेशानुसार होगी।
- 4) आवेदक को National Medical Commission के एवं समय-समय पर किये गये संशोधनों के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक अर्हताएँ एवं अनुभव पूर्ण करना अनिवार्य है।
- 5) आयु सीमा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्धारित शर्तें मान्य होंगी।
- 6) चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2005 में निहित प्राविधानों के अनुसार होगी। संविदा चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितकरण के लिये हकदार नहीं होंगे।
- 7) पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, जिसकी सूचना कोलज की वेब साइट पर अपलोड कर दी जायेगी एवं तदनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। सभी प्रकार का अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन को होगा।
- 8) शासनादेश संख्या 6/2019/4/1/2002/का-2/19टी0सी0-1 दिनांक 23-10-2019 के अनुसार सम्बन्धित विशिष्टता में अनारक्षित कॉलम में दर्शाये गये ई0डब्लू0एस0 के पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर (ई0डब्लू0एस0) वर्ग का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त पदों को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।
- 9) आवेदकों को स्पष्ट सूचित किया जाता है, कि प्रार्थना पत्र के साथ आवश्यक रूप से हाई स्कूल अंक तालिका, एम0बी0बी0एस0 अंक तालिकाएँ, एडीशनल क्वालिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन, पी0जी0 के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पब्लिकेशन, एवं अन्य तत्सम्बन्धी स्वप्रमाणित प्रपत्र अवश्य संलग्न करें। अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
- 10- आरक्षण सम्बन्धी 100 बिन्दुओं का रोस्टर/शासनादेश संख्या 5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी0सी0-1, दिनांक 13-08-2019 का अनुपालन मान्य होगा।

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज झाँसी।

संख्या : /संविदा चिकि०/विज्ञप्ति/2021-22, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, छटवाँ तल, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- प्रभारी अधिकारी-वेब साइट, मेडिकल कालेज, झाँसी को इस आदेश के साथ कि कालेज की वेब साइट पर सूचना अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 3- संयोजक, साक्षात्कार समिति, मेडिकल कालेज, झाँसी।

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज झाँसी।